

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फ़ावलि डिप्लोमा कौन्सिल आवासीय प्रयोजनाधी

नगरपालिका नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 835 दिनांक 29/12/2020 ।

प्राथमिकी श्रीमती नीमा यादव W/O श्री अरविण कुमार

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

पारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय ने पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7265/- प्रति

जरिये रसोद संख्या 9069/6967, 6968

दिनांक 29/12/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 11/188 कॉम्पायन्स

डाउनलिड बोर्ड

24/1/2021

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

कॉम्पायन्स

9784097100

जी+1

आवासीय